तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18/3/26 पत्रा० पेश हुई। बआवाज फरीकैन उप०। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० पत्रा० किया गया। पत्रावली दैनिक हुक्म रजिस्टर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री रजत कुमार विजयवर्गीय आर.ए.एस.)

मिसल नं0 714 / प्रार्थना–पत्र / 2025
दायरा दि0 22.05.25

उनवान

1– सोनू नागर पुत्र श्री जोधराज उम्र 25 साल जाति धाकड़ निवासी उमरिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० 9414652025

2– जोधराज पुत्र जगदीश उम्र 50 साल जाति धाकड़ निवासी उमरिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज०

.... प्रार्थीगण

बनाम

1– रामेश्वरप्रसाद पुत्र श्री रामकिशन जाति धाकड़ निवासी चापाखूर तहसील खानपुर जि० झालावाड़ राज०

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसील दार तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज०

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– 1. श्री लेखराज सिंह अधिवक्ता –प्रार्थी0
2.श्री औम प्रकाश धनोलिया अधिवक्ता –अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 18/03/2026

पत्रावली आज मेरे समक्ष वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 251(क) आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 57 व पुराना 53 की खसरा नं० 415 की रकबा 2.0477 है० आराजी प्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त एंव खाते की है। नकल जमाबंदी समू 2075 से 2078 व नक्शा ट्रेस पेश है।

यह कि वाके ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 302 व पुराना 59 की खसरा नं० 416/,654 की रकबा 0.1862 है० आराजी प्रार्थी क्रम 2 के कब्जे काश्त एंव खाते की है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 व नक्शा ट्रेस पेश है।

यह कि वाके ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 244 व पुराना 180 की खसरा नं० 416 की रकबा 2.5657 है० आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त एंव खाते की है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 व नक्शा ट्रेस पेश है। यह कि प्रार्थीगण किसान काश्तकार व्यक्ति है, कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन हैं। अपनी उक्त आराजी पर कृषि कार्य कर अपना अपने परिवार का भरण पोषण करते आये है।

यह कि प्रार्थीगण का अपने खेतो पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने लेजाने का राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज रेकार्ड नही होने के कारण प्रार्थीगण को अपने खेतो पर आने जाने व कृषि साधन लाने व लेजाने में भारी परेशानीयो का सामना करना पड़ता है, आने जाने के लिय दूसरे खातेदार के खेत खाली होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे कभी–कभी पक्की हुई फसल भी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

खराब होने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है, रास्ते में निकलने मे काफी परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े की नोबत तक आजाती है। यह कि अप्रार्थी क्रम 1 के खेत खसरा नं० 416 से सटवा ही आम रास्ता सड़क खसरा नं० 422 स्थित है। प्रार्थीगण को अपने खेतो पर आने जाने का सुविधा पूर्ण रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नं० 416 की पूर्वी मेड़ पर हो सकता है। प्रार्थी गण को अपने खेतो पर आने जाने व कृषि साधन लाने व लेजाने जैसे हार्वेस्ट मशीन वगै० के लिय 15 फीट चौड़े रास्ते की सख्त आवश्यकता है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का है, तथा उचित कोर्ट फीस एंव समयाअवधि मध्य पेश है।

अत–प्रार्थना पत्र धारा 251,क, आर० टी० एक्ट० में पेश कर श्रीमान से निवेदन है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं० 416 वाके ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर की पूर्वी मेड़ के सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशी जमा करने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की और से एडवोकेट श्री ओम प्रकाश धनोलिया ने वकालत नामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जो शा0 पत्रा0 किया गया तथा प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई गई। प्रकरण में तहसीलदार खानपुर से मौका रिर्पोट चाही गई जो प्राप्त होने पर शा 0 पत्रा0 की गई। तत्पश्चात् अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस बताया कि वाके ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 57 व पुराना 53 की खसरा नं० 415 की रकबा 2.0477 है० आराजी प्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त एंव खाते की है। तथा ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 302 व पुराना 59 की खसरा नं० 416,654 की रकबा 0.1862 है० आराजी प्रार्थी क्रम 2 के कब्जे काश्त एंव खाते की है।

यह कि वाके ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 244 व पुराना 180 की खसरा नं० 416 की रकबा 2.5657 है० आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त एंव खाते की है। यह कि प्रार्थीगण किसान काश्तकार व्यक्ति है, कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन हैं। अपनी उक्त आराजी पर कृषि कार्य कर अपना अपने परिवार का भरण पोषण करते आये है। प्रार्थीगण का अपने खेतो पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने लेजाने का राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज रेकार्ड नही होने के कारण प्रार्थीगण को अपने खेतो पर आने जाने व कृषि साधन लाने व लेजाने में भारी परेशानीयो का सामना करना पड़ता है, आने जाने के लिय दूसरे खातेदार के खेत खाली होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे कभी–कभी पक्की हुई फसल भी खराब होने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है, रास्ते में निकलने मे काफी परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े की नोबत तक आजाती है। यह कि अप्रार्थी क्रम 1 के खेत खसरा नं० 416 से सटवा ही आम रास्ता सड़क खसरा नं० 422 स्थित है। प्रार्थीगण को अपने खेतो पर आने जाने का सुविधा पूर्ण रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नं० 416 की पूर्वी मेड़ पर हो सकता है। प्रार्थी गण को अपने खेतो पर आने जाने व कृषि साधन लाने व लेजाने जैसे हार्वेस्ट मशीन वगै० के लिय 15 फीट चौड़े रास्ते की सख्त आवश्यकता है।

अत–प्रार्थना पत्र धारा 251,क, आर० टी० एक्ट० में पेश कर श्रीमान से निवेदन है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं० 416 वाके ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर की पूर्वी मेड़ के सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशी जमा करने को तैयार है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 415,416/654 पर बहुत सुविधाजनक तरीके से आराजी खसरा नम्बर 377 जो आम रास्ता है के दक्षिणी मे खसरा नम्बर 414 स्थित है। खसरा नम्बर 414 के पूर्वी मेड की तरफ 14 मीटर चलकर खसरा नम्बर 415/720 व 415 मे पहुंचते है तथा अपने कृषि यंत्र तथा सामान लाते ले जाते है। पिछले अनेक वर्षो से अपने खाते की आराजी पर आने जाने के लिये इसी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

रास्ते का उपयोग कर रहे है। यह रास्ता बहुत ही कम दूरी का है। तथा अप्रार्थी द्वारा उल्लेखित किये गये रास्ता सुविधाजनक है। जिसमे कोई परेशानी नही है। इस रास्ते का उपायोग करके प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी मे पहुचते है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय को भ्रमित करने के लिये प्रार्थना पत्र मे सही तथ्यो को छुपाया है तथा प्रार्थीगण ने जो नक्शा ट्रेस किया है वो भी अधुरा है। जिससे प्रार्थीगण को उपलब्ध रास्ते की सही स्थिति अस्पष्ट नही होती है। अप्रार्थी नक्शा ट्रेस व प्रार्थीगण की माता व पत्नी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 415/720 की नकल के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट होती है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र केवल अप्रार्थी के खाते की आराजी को बर्बाद करने व उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की गरज से झूठा पेश किया जिसको खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त रिर्पोट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि–

1.प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 57 व पुराना 53 की खसरा नं० 415 की रकबा 2.0477 है० आराजी तथा ग्राम उमरिया पटवार हल्का सारोला खुर्द तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 302 व पुराना 59 की खसरा नं० 416/,654 की रकबा 0.1862 है० भूमि तक पहुंचने हेतु रास्ते की आवश्यकता है ।

2.प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंच मार्ग राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है।

3.प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार सुविधाजनक तरीके से आराजी खसरा नम्बर 377 जो आम रास्ता है के दक्षिणी मे खसरा नम्बर 414 के पूर्वी मेड की तरफ 14 मीटर चलकर खसरा नम्बर 415/720 व 415 मे पहुंचते है। जो कि लघुत्तम रास्ता है।

4.यदि किसी कृषक खातेदार को अपनी आराजी के जोत के लिये रास्ते की आवश्यकता है और रास्ता राजस्व रेकार्ड मे भी दर्ज नही हो तो प्रथम दृष्टया रास्ता लघुतम एवं समीपतम होना आवश्यक है।

5.तहसीलदार रिर्पोट अनुसार संलग्न नक्शे एवं अप्रार्थी के जवाब अनुसार खसरा नम्बर 377 गैर मुम0 से होकर खेत खसरा नम्बर 414 से होकर अपने खेतो पर आसानी से आ जा सकते है। और यही रास्ता लघुतम 14 x 5 = 70 वर्ग मीटर होता है। किन्तु प्रार्थीगण इस लघुत्तम रास्ते को अपने प्रार्थना पत्र मे नही लाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 416 से नया रास्ता कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी दूरी 180 x 5 = 900 वर्ग मीटर होती है जो अधिकतम है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थीगण लघुतम रास्ते हेतु नया आवेदन पेश कर राहत प्राप्त कर सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 18/03/2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़